10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(46)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

R 390- II/17-

प्रकरण क्र. /17 निगरानी

निगरानीकर्ता - - - - -

चौदसिया पुत्री छोटा पत्नी छत्तू आदिवासी निवासी-ग्राम माडा, तहसील बदरवास हाल निवासी ग्राम सुनाज, तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

मवधेश शर्मा अभि० द्वारा आज दि 28-1-17 को प्रस्तुत
28-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूध्द

अनावेदक- - - - -

1. बंशी ,2-रामजीलाल,3-अर्जुना पुत्रगण सामलिया आदिवासी,4- रतन पुत्र रामसिंह आदिवासीस, 5-सुमन . पुत्री रामसिंह आदिवासी निवासीगण ग्राम ग्राम गनेशखेड,तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र. 6- जगराम पुत्र प्रभू आदिवासी निवासी-ग्राम ढकुआ, तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

<u>निगरानी अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू.रा.सं. अधिनियम-1959सहपठित विरूध्द आदेश दिनांक -15-12-16 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. के प्रकरण कमांक-125/ 2015-16 /अपील माल एवं पंजी कमांक-11 दिनांक-10-09-2014 पारित नामान्तरण आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा रन्नौद तहसील बदरवास जिला शिवपुरी के विरूध्द प्रस्तुत।</u>

<u>निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-</u>

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण निगरानी 390–दो / 2017 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23/1/19	आवेदक अधिवक्ता श्री अवधेश शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 125 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.12.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशोधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 15.12.16 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशोधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 29.3.19 को अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य अपर आयुक्त ग्वालियर	